प्रत्नकीर्तिमपावृणु

F. No. 01/73/GV/2017-18-
Government of India
Archaeological Survey of India
Temple Survey Project (N.R.)

Room No.312,Nirman Sadan,
CGO Complex, Arera Hills,
Bhopal, Date: /07/2017.

Tender Documents

Sealed tender are hereby invited from reputed and experienced suppliers for the hiring of vehicle on monthly basis.

S.No.	Nature of work	Quantity	Approximate total cast per month	Diesel/Petrol cab vehicle name
1	Scorpio Vehicle with Driver Fixed monthly charges for the first 2000km in a monh including cost of fuel and with limitation on hours of uses.	01 No.	Rs.	
2	Beyond 2000 km running per month per Km extra charges		Rs.	
3	Night halt charges(12 hours mid night to 6 hours morning) whenever vehicle goes out of Bhopal		Rs.	
4	GST as per reveling rates on total monthly billing		Rs.	

Sir,

I/we hereby agree to undertake to provide the motor vehicle on hiring of the O/o the Superintending Arhcaeologist, Temple Survey Porject (NR), Bhopal at the rate/amount quoted by me/us in the tender document. I/we abide by all the prescribed rules and regulation & terms and conditions supplied by the Department. The 01 No.earnest money deposit for Rs.10,000/-(Ten Thousand) only in the form of demand draft drawn in favour of Superintending Arhcaeologist, Temple Survey Porject(NR), Bhopal (Name of the bank.. bearing No.................. Dated...........................) is enclosed.

Bhopal
Dated

Signature of the owner/proprietor
Name of the firm with seal

Form No.................... as been downloaded by M/s... The cost of the tender form has been enclosed vide DD No........................, Dt...........................

Superintending Archaeologist
Archaeological Survey of India
Temple Survey Project (N.R.)

भारत सरकार
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
कार्यालय अधीक्षण पुरातत्वविद्
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण(उ.क्षे)
भोपाल-462011

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (उ.क्षे) को विभिन्न शासकीय कार्य/कार्यशालाओं/बैठकों एवं बाहर से आये अधिकारियों/अतिथियों के स्थानीय एवं क्षेत्र के भ्रमण हेतु वाहन की आवश्यकता पड़ती है। इस हेतु पेट्रोल/डीजल की स्कार्पियो वाहन की दरें आमंत्रित की जाती है । वाहन अपेक्षित मापदण्डों के तहत संधरित और चालन की अच्छी स्थिति वाला होना चाहिए, ताकि सेवाऐं सुगम और बिना किसी परेशानी के हों ।

किराये पर वाहन उपलब्ध कराने के लिए शर्ते -

1. किराये पर दिये जाने वाले वाहन का मॉडल सन् 2015 या तीन वर्ष से अधिक पुराना नही होना चाहिए ।
2. वाहन टैक्सी कोटे का होने के साथ वाहन टैक्स पेड (कर भुगतान किया हुआ)एवं वाहन प्रदाता के स्वामित्व में होना चाहिए । वाहन के रजिस्ट्रेशन की प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है ।
3. वाहन सेल्फ स्टार्ट,वाहन में अच्छी स्टेपनी,वाहन के चारों पहिये के टायर-ट्यूब अच्छे होना एवं माइलों मीटर हमेशा चालू हालत में होना अनिवार्य है । इसकी जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी ।
4. वाहन आवश्यकतानुसार बैठक/कार्यशाला/क्षेत्रभ्रमण आदि कार्ये हेतु समय-समय पर भोपाल से बाहर देश/प्रदेश में किसी भी स्थान पर भेजा जा सकेगा ।
5. किराये की अवधि में वाहन रखरखाव पर होने वाली टूट-फूट बैटरी, टायर,ट्यूब आदि के साथ एवं किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की स्थिति में वाहन का स्वामी इसके लिए पूर्ण उतरदायी होगा एवं समस्त खर्च वहन करेगा । वाहन प्रदायकर्ता के पास वाहन संधारण की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए ।
6. वाहन के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में उसके निराकरण का उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता का होगा एवं यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा तय की जाती है तो उसकी पूर्ण जबाबदारी वाहन प्रदाता की होगी ।

7. रास्ते में वाहन खराब होने की स्थिति में उपयोगकर्ता अधिकारी को सामान्यतः दो घण्टे में वाहन सुधार करा कर उपयोग हेतु उपलब्ध कराना होगा । न करा पाने की स्थिति में उस दिन का किराया नही दिया जायेगा । वाहन के खराब होने के स्थान से गैराज तक ले जाने तक दायित्व वाहन प्रदाता का होगा ।

8. वाहन प्रदाता को मांग अनुसार वाहन प्रदाय करना अनिवार्य होगा । मांग अनुसार वाहन उपलब्ध नही कराने की स्थिति में अथवा अनुबंध की अवधि में वाहन बिना वैद्य कारण वाहन हटाने पर उसके द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि कार्यालय द्वारा ज़प्त की जा सकेगी ।

9. वाहन प्रदायकर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्ति के उपरांत मांग एवं आवश्यकतानुसार मय वाहन चालक के वाहन निर्धारित स्थान(कार्यालय)में निर्धारित समय पर भेजना होगा , अन्यथा स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी ।

10. मासिक किराये की दर निविदा प्रपत्र में अंकित करना होगा । वाहन अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण परियोजना उत्तरी क्षेत्र द्वारा निर्देशित स्थान पर ही पार्क किया जायेगा । निविदा प्रोफार्मा जमा के सभी पृष्ठों पर आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है ।

11. विभागीय कार्य से वाहन बाहर ले जाते समय यदि कोई टोल टैक्स/पाकिग का भुगतान किया जाता है तो भुगतान की रसीद मूलतः देयक के साथ प्रस्तुत करने पर वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी ।

12. नियमानुसार टी.डी.एस की कटौती भुगतान के समय की जायेगी ।

13. स्वीकृत दरें स्वीकृति दिनांक से आगामी एक वर्ष के लिए लागू रहेंगी । जिन्हें स्वीकृत फर्म एवं विभाग की सहमति के आधार पर एक वर्ष पुनः आगामी अवधि के लिए बढाया जा सकता है । तथापि सेवा असंतोषजनक होने पर कभी भी स्वीकृति वापस ली जा सकेगी एवं तत्संबंध में सभी अधिकार अधीक्षण पुरातत्वविद्,भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (उ.क्षे), भोपाल के पास सुरक्षित होगे ।

14. सफल निविदाकर्ता को निविदा स्वीकृति की दिनांक से सात दिवस के भीतर सुरक्षा निधि रूपये 25,000(पच्चीस हजार) मात्र का एफ.डी.आर अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, मंदिर सर्वेक्षण परियेजना (उ.क्षे) के नाम अनिवार्य रूप से देय होगा । सुरक्षा निधि प्राप्त होने के पश्चात् रूपये 10,000(दस हजार)मात्र की सत्यकार राशि कार्यालय द्वारा वापिस लौटा दी जायेगी ।

15. निविदाकर्ता को ट्रासपोर्ट कार्य के लिए पंजीयन प्रमाण पत्र(गुमाश्ता)एवं सर्विस टैक्स क्रमांक की प्रति (पीछले दो वर्षे के प्रमाण सहित) संजग्न करना अनिवार्य है ।

16. वाहन चालक के पास नियमानुसार वाहन चालन का वैद्य जीवित ड्रायविंग लाइसेंस एवं मोबाईल फोन होना आवश्यक है । वाहन वालक को वाहन का बीमा,रजिस्ट्रेशन,फर्स्ट एड बॉक्स एवं अन्य आवश्यक कागजात हमेशा वाहन में रखना अनिवार्य होगें ।

17. यात्रा के दौरान दुर्गम स्थान में भी वाहन ले जाया जा सकता है । वाहन के ड्रायवर का यह कर्तव्य होगा कि उपयोगकर्ता अधिकारी के आदेश का पालन करे ।

18. वाहन चालक के कार्यालयीन समय के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाया जा सकता है । वाहन चालक कार्य पर रहते समय किसी भी प्रकार के नशे का सेवन न करे ।

19. वाहन चालक द्वारा संबंधित वाहन का उपयोग करने वाले अधिकारी से प्रतिदिन वाहन मीटर रीडिंग के अनुसार की गई यात्रा का प्रमाणीकरण लॉगबुक में कराना होगा । प्रमाणित लॉगबुक की प्रतिलिप देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

20. वाहन चालक का वेतन भत्ता एवं अन्य खर्चे जिसमें वाहन चालक का दैनिक एवं अन्य भत्ता भी शमिल है,वाहन प्रदायकर्ता स्वयं वहन करेगा ।

21. विना किसी कारण दर्शाते हुए ही निविदा स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का, निविदा प्रक्रिया वंद करने का एवं कार्य आदेश जारी करने का अंतिम निर्णय अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, मंदिर सर्वेक्षण परिशेजना, भोपाल का होगा ।

22. वाहन को किसी भी समय विना किसी कारण बताये हटाने का पूर्ण अधिकार अधीक्षण पुरातत्वविद्,भारतीय पुरा.सर्वेक्षण, उत्तरी क्षेत्र के पास सुरक्षित रहेगा ।

अधीक्षण पुरातत्वविद्

Superintending Archaeologistgist
Archaeological Survey of India
Temple Survey Project (Northern Region)
BHOPAL